कार्यकारी सारांश

विश्व भर में, आपदा प्रबंधन के लिए आपदा तैयारी अथवा आपदा जोखिम में कमी (आ.जो.क.) सर्वप्रमुख विषय बनता जा रहा है। आपदा की संभावना को समाप्त करना संभव नहीं है। तथापि, उचित देखभाल और समुचित तैयारी के साथ, आपदाओं के जोखिम और पहुँचने वाली क्षति को काफी कम किया जा सकता है। भारत को विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से खतरा रहता है। देश ने हाल के वर्षों में भूकंप, सुनामी और बाढ़ सहित कई विनाशकारी आपदाओं का सामना किया है। तदनुसार भारत, एक त्रिस्तरीय आपदा प्रबंधन सांस्थानिक ढाँचे की स्थापना करने वाले अग्रणी देशों में से एक था। आ.प्र. अधिनियम के 2005 में पारित होने के बाद काफी समय बीत गया है। केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर सरकारों ने कई न्यूनीकरण योजनाएं शुरू की हैं। आपदा जोखिम में कमी करने के लिए देश में कई अंतराष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर सांस्थानिक ढाँचे स्थापित किये गये हैं। आ.जो.क. कार्यों के लिए उत्तरदायी नोडल मंत्रालयों को विभिन्न मानव निर्मित तथा प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्दिष्ट किया गया है। अतः देश में आपदा को प्रबंधित करने के लिए तैयारी के स्तर के आकलन का यह सही समय है।

इस लेखापरीक्षा में हमने पाया कि संस्थाओं के गठन तथा वित्त पोषण की व्यवस्था संबंधी प्रगति के बावजूद, विभिन्न आपदाओं के तैयारी स्तर में महत्वपूर्ण अंतराल थे। आ.प्र. अधिनियम 2005 के पश्चात जो व्यवस्था प्रभाव में आयी, उसे अपनी वांछित प्रभावशीलता अभी प्राप्त करनी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसे शीर्ष नियोजन एवं पर्यवेक्षक निकाय के रूप में परिकलत किया गया था, वह अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों में अप्रभावी पाया गया। इसका न तो राज्य स्तर पर कार्य की प्रगति पर सूचना एवं नियंत्रण था, और न ही यह विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सफल हुआ था। रा.आ.प्र.प्रा. तथा विभिन्न आपदाओं के नोडल मंत्रालयों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष निकायों के मध्य भूमिकाओं तथा दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।

हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा ने क्या उद्घटित किया था?

हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा ने उद्घटित किया कि:

वैधानिक तथा सांस्थानिक रूपरेखा	❖ राष्ट्रीय कार्यकारी समिति मई 2008 के बाद नहीं मिली, जबकि उस तिथि के बाद देश ने अनेक आपदाओं का सामना किया। इसने आपदा तैयारी के मूल्यांकन को सरकार के सभी स्तरों पर प्रभावित किया था। (पैराग्राफ 2.5.3.6)
आपदा तैयारी का नियोजन	❖ आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय योजना आ.प्र. अधिनियम के पारित होने के छः वर्ष बाद भी नहीं बनायी गयी थी। (पैराग्राफ 3.1.1) ❖ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को, राज्यों पर राज्य योजना बनाने में बाध्यतामूलक बनाने वाले कोई प्रावधान नहीं थे। (पैराग्राफ 3.2) ❖ गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय कार्यपालिका समिति तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्धारित भूमिकाओं एवं कार्यों में महत्वपूर्ण विचलन थे। (पैराग्राफ 3.4)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	❖ जून 2010 से रा.आ.प्र.प्रा. की कोई सलाहकार समिति नहीं थी। (पैराग्राफ 4.2) ❖ रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा शुरू की गयी कोई भी प्रमुख परियोजना पूर्ण नहीं हुई थी। अनुचित योजना के कारण या तो परियोजनाओं को बीच में ही बंद कर दिया गया था, या उल्लेखनीय अवधि के बाद भी वे अभी तक अपूर्ण थीं। (पैराग्राफ 4.3) ❖ रा.आ.प्र.प्रा., आ.प्र. अधिनियम में निर्धारित कई भूमिकाओं का निर्वहन नहीं कर रहा था। इसमें न्यूनीकरण के प्रयोजन हेतु निधियों के प्रावधान की अनुशंसा और ऋणों के पुर्नभुगतान में राहत की अनुशंसा अथवा नये ऋणों की मंजूरी सम्मिलित है। (पैराग्राफ 4.4.2) ❖ रा.आ.प्र.प्रा. ने आपदा में कमी करने हेतु संरचनात्मक आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं के व्यवस्थित मूल्यांकन का कार्य, शुरू नहीं किया था। (पैराग्राफ 4.4.3) ❖ रा.आ.प्र.प्रा. में कई महत्वपूर्ण पद रिक्त थे और परामर्शदाताओं का दैनंदिन कार्य के लिए उपयोग किया जाता था। (पैराग्राफ 4.6)
संसाधन तथा निधि व्यवस्था	❖ राज्यों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) के संबंध में विलंब एवं कुप्रबंधन थे। राज्य, अव्ययित रा.आ.प्र.नि. के अंतर्गत उपयोग एवं शेषों के विवरण गृ.मं. को भेजने में नियमित नहीं थे। राज्यों ने दिशानिर्देशों के अनुसार

	रा.आ.प्र.नि. के अव्ययित शेषों का निवेश नहीं किया था। यह नमूना परीक्षित राज्यों में ₹ 477.99 करोड़ के ब्याज के संभावित घाटे में परिणत हुआ। (पैराग्राफ 5.1)
	❖ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग भा.स. के दिशानिर्देशों में दर्शाये गए प्रयोजनों के अलावा अन्य विविध प्रयोजनों के लिए किया गया था। रा.आ.आ.नि. (अभी रा.आ.प्र.नि.) से जारी गुजरात, असम तथा गोवा के मामले में ₹ 654.04 करोड़ के निर्गम, इन राज्यों के पास अव्ययित पडे थे। (पैराग्राफ 5.2)
	❖ राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि की स्थापना अभी होनी है। अधिकतर राज्यों ने राज्य तथा जिला स्तर पर आपदा न्यूनीकरण निधियों की भी स्थापना नहीं की थी। (पैराग्राफ 5.3)
	❖ रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण, आपदा के पश्चात त्वरित राहत के लिए आवश्यक मदों की सूची के अनुरक्षण हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया रिजर्व को परिचालित नहीं किया जा सका। (पैराग्राफ 5.4)
आपदा तैयारी हेतु संचार प्रणालियां	❖ आपातकालीन प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय डेटाबेस को अगस्त 2011 तक पूरा करना था, परंतु इसे अभी परिचालित होना है। (पैराग्राफ 6.1.1)
	❖ ए.एल.टी.एम. डिजिटल कैमरे की अधिप्राप्ति तथा परिचालन में ₹23.75 करोड़ का निवेश अप्रैल 2003 से किया गया था। तथापि, देश के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 10 प्रतिशत से कम भाग ही समोच्च बंद एवं विस्तृत स्थलाकृति सूचना प्रदान करने हेतु शामिल किया गया था। (पैराग्राफ 6.1.2)
	❖ प्राकृतिक आपदाओं के समय सिंथेटिक एपर्चर रडार द्वारा हवाई डाटा प्राप्त करने संबंधी सहायता निर्धारित पूर्णता की तिथि के छः वर्ष के बाद भी अमल में नहीं लाया जा सका था। अब तक किया गया व्यय ₹28.99 करोड़ था। (पैराग्राफ 6.1.3)
	❖ उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क, संचार उपकरण की प्राप्ति के छः वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात भी पूर्ण रूप से परिचालित नहीं था। (पैराग्राफ 6.1.4)
	❖ खराब मौसम व्यवस्था की निगरानी तथा मॉनीटरिंग हेतु डॉपलर मौसम रडार ₹35.64 करोड़ व्यय करने के बाद फलीभूत नहीं हो सका। (पैराग्राफ 6.1.5)
	❖ रा.आ.प्र.प्रा. के राष्ट्रीय आपदा नेटवर्क तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना विज्ञान प्रणाली परियोजनाएं परिकल्पना के कई वर्षों बाद भी अभी नियोजन अवस्था में ही थीं। (पैराग्राफ 6.2)

आपदा हेतु प्रतिक्रिया प्रणाली	❖ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की प्रभावपूर्णता, प्रशिक्षित श्रमशक्ति की कमी, आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं, अवसंरचना तथा उपकरण की अनुपस्थिति के कारण बाधित हो रही थी। रा.आ.प्र.ब. की तरफ से तैयारी, महत्वपूर्ण उपकरण के गैर- परिचालित एवं दोषपूर्ण होने के कारण अपर्याप्त थी। (पैराग्राफ 7.1.2) ❖ रा.आ.प्र.ब. की तैनाती हेतु मानक संचालित प्रणाली को सितम्बर 2012 तक अनुमोदित नहीं किया गया था तथा रा.आ.प्र.ब. को छोटे या स्थानीयकृत आपदाओं के लिए तैनात किया गया था। (पैराग्राफ 7.1.3) ❖ केवल सात राज्यों ने अब तक अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों का निर्माण किया था। उचित रूप से प्रशिक्षित तथा सुसज्जित राज्य आ.प्र.ब. कार्मियों की अनुपस्थिति में, राज्य, छोटे तथा स्थानीयकृत आपदाओं के लिए रा.आ.प्र.ब. की तैनाती की मांग कर रहे थे। (पैराग्राफ 7.2) ❖ क्षे.प्र.के. के कार्यकरण के लिए कोई स्पष्ट नीति तथा दिशा-निर्देश नहीं थे। क्षे.प्र.के. अप्रभावी थे तथा आपदा प्रतिक्रिया में बहुत कम उपयोग में लाये जाते थे। (पैराग्राफ 7.3) ❖ विभिन्न राज्यों में किसी आपदा में तत्काल और त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने हेतु अग्नि शमन तथा आपातकालीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से स्टाफ नहीं था। (पैराग्राफ 7.4.4) ❖ केन्द्र तथा राज्य, दोनों स्तरों पर चिकित्सा संबंधी तैयारी में कमी क्षमता तथा अवसंरचना के मामलों में पाई गई थी। (पैराग्राफ 7.5)
आपदा तैयारी के लिए क्षमता निर्माण	❖ पेशेवर वास्तुकारों तथा अभियंताओं को प्रशिक्षित कर भूकंपीय दृष्टि से सुरक्षित निवासों को सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं थी, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही। योंजनाओं को उनकी असफलता के कारणों का विश्लेषण किए बिना ही हटा दिया गया था। (पैराग्राफ 8.1.3.1) ❖ प्र.प्र.सं. की वित्तीय सहायता में विस्तार करने की योजना भारी कमियों के साथ समाप्त हुई। (पैराग्राफ 8.1.3.2) ❖ विशेषज्ञ उपकरणों की संगठित सूचना प्रणाली तथा आपदा प्रतिक्रिया के लिए विशेषज्ञता के निर्माण हेतु भारतीय आपदा संसाधन परियोजना तदर्थ आधार पर ही परिचालित थीं। (पैराग्राफ 8.1.4) ❖ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में महत्वपूर्ण पदों का न भरा जाना प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कवरेज में बाधा थी। (पैराग्राफ 8.1.6.2)

आपदा विशिष्ट मुद्दे

भूकंप:

❖ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भूकंप के लिए आपदा प्रबंधन तथा शमन योजनाओं का निर्माण नहीं किया।

(पैराग्राफ 9.1.2)

❖ रा.आ.प्र.प्रा. ने राष्ट्रीय भूकंप जोखिम शमन परियोजना को शुरू किया। यह परियोजना अपनी अवधारणात्मकता के पांच साल बीत जाने के बाद भी अभी प्रारंभिक चरण में थी।

(पैराग्राफ 9.1.6)

बाढ:

❖ सितम्बर 2011 तक 29 राज्यों में 4728 बड़े बाँधों के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 8 राज्यों ने 192 बड़े बांधों के लिए आपातकालीन योजनाओं का निर्माण किया था।

(पैराग्राफ 9.2.1.2)

❖ देश में सितम्बर 2011 तक 4728 जलाशय और बांध थे। के.ज.आ. केवल 28 जलाशयों तथ बांधों को अन्तर्वाह पूर्वानुमान प्रदान करता है। बाढ़ नियंत्रण से संबंधित योजना के मूल्यांकन अध्ययन में सूचित कमियों को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सुधारा नहीं गया था।

(पैराग्राफ 9.2.3.1)

चक्रवात तथा सुनामी:

❖ मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका था। केवल 47.68 प्रतिशत निधि का उपयोग मार्च 2012 तक किया गया था।

(पैराग्राफ 9.3.5 & 9.3.5.1)

❖ वेधशाला नेटवर्क के उन्नयन की शमन परियोजना तथा अन्य विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन में या तो बहुत अधिक विलंब हुआ या फिर शुरू भी नहीं हुआ था।

(पैराग्राफ 9.3.5.2, 9.3.5.3, 9.3.5.4, 9.3.5.5, 9.3.5.6 & 9.3.5.7)

सूखा:

❖ आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में परिकल्पित गतिविधियों को तत्परता को आगे सुदृढ बनाने के लिए अभी तक किया जाना शेष था।

(पैराग्राफ 9.4.2)

❖ प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत राज्यों को तत्काल राहत प्रदान करने में विलंब हुआ था।

(पैराग्राफ 9.4.4.1)

दावानल:

❖ विभिन्न संबंधित विभागों में समन्वय समेत दावानल से निपटने के लिए कोई रणनीति नहीं थी। केवल पांच राज्यों तथा एक सं.शा.प्र. ने दावानल जोखिम प्रबंधन योजनाएं प्रस्तुत की थी और वे भी प.व.मं. के पास अनुमोदन के लिए लम्बित है।

(पैराग्राफ 9.5.2)

- ❖ दावानल की घटना पर वास्तविक समय डाटा की उपलब्धता के बावजूद, इसे राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर योजना बनाने के लिए उपयोग नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 9.5.3)

- ❖ केन्द्रीय जोखिम समूह का गठन कम श्रेष्ठता श्रेणी अधिकारियों के साथ हुआ था। इस समूह द्वारा मॉनीटरिंग की कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

(पैराग्राफ 9.5.4)

- ❖ वन प्रबंधन योजना की गहनता के तहत निधियों को आवश्यकता के आकलन के बिना ही जारी कर दिया गया था। स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर नहीं किए गये थे। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 9.5.5)

रासायनिक आपदा:

- ❖ रासायनिक दुर्घटना सूचना तथा रिपोर्टिंग प्रणाली (रा.दु.सू.रि.प्र.) का अभी तक पर्याप्त प्रतिक्रिया उत्पन्न करना शेष था। देश में रासायनिक दुर्घटनाओं की अद्यतित जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

(पैराग्राफ 9.6.3.5)

- ❖ मंत्रालय ने राज्य स्तर पर रसायन जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित नही की।

(पैराग्राफ 9.6.6)

जैविक आपदा:

- ❖ महामारी रोग अधिनियम, 1897 में समीक्षा और अद्यतन करने की आवश्यकता है। जैव-सुरक्षा और जैव-सुरक्षा कोड को विकसित करने की जरूरत थी।

(पैराग्राफ 9.7.2.1)

- ❖ एकीकृत रोग निगरानी परियोजना को सभी राज्यों द्वारा डाटा की नियमित रिर्पोटिंग नहीं है, इस प्रकार यह अपने उद्देश्य में विफल रहा।

(पैराग्राफ 9.7.3)

- ❖ राष्ट्रीय प्रवेश बिन्दुओं जैसे कि हवाई अड्डों पर प्रयोगशाला सुविधाओं तथा निगरानी की सुविधाओं में कमी पाई गई थी।

(पैराग्राफ 9.7.3.2 & 9.7.3.5)

परमाणु एवं विकिरणधर्मी आपदा:

- ❖ विकिरण सक्रिय पदार्थों के सुरक्षित निपटान हेतु उनके परिवहन के लिए बड़ी संख्या में स्वीकृति प्रदान की गई थी। तथापि, स्रोतों का वास्तव में निपटान किया गया को सत्यापित करने के लिए कोई उचित तंत्र विद्यमान नहीं था।

(पैराग्राफ 9.8.4)

- ❖ देश में लापता या लावारिस विकिरण सक्रिय पदार्थों का पता लगाने एवं खोज हेतु विनियामक प्रतिक्रिया तंत्र भी प्रभावकारी नहीं था।

(पैराग्राफ 9.8.5)

हमने क्या सुझाव दिए?

- राष्ट्रीय कार्यपालिका समिति तथा गृह मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र राष्ट्रीय योजना का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र हो।
- रा.आ.प्र.प्रा. को अपने राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन का अनुवर्तन करना चाहिए।
- रा.का.स. को देश के आपदा प्रबंधन में अपनी निरूपित भूमिका का प्रदर्शन करने हेतु नियमित बैठकों का आयोजन करना चाहिए।
- गृ.म., रा.का.स. तथ रा.आ.प्र.प्रा. की भूमिकाएं तथा जिम्मेदारियां इन हितधारकों के कार्यों के स्पष्ट सीमांकन के लिए निर्दिष्ट होनी चाहिए।

- रा.आ.प्र.प्रा. को विशेषज्ञों की अपनी सलाहकार समिति का गठन शीघ्र सुनिश्चित करना चाहिए।
- रा.आ.प्र.प्रा. को अपनी परियोजना निष्पादन क्षमताओं की समीक्षा तथा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। नोडल मंत्रालयों से बेहतर समन्वयन की अपेक्षा है ताकि प्रयासों के दोहराव से बचा जा सके।
- रा.आ.प्र.प्रा. को आपदा में कमी के लिए संरचनात्मक आवश्यकताओं के आकलन का कार्य आरंभ कर देना चाहिए।
- रा.आ.प्र.प्रा. को रेट्रोफिटिंग नीति का निरूपण करने के प्रयास करने चाहिए।
- रा.आ.प्र.प्रा. को अपने व्यापार नियमों को शीघ्रातिशीघ्र दृढ़ कर लेना चाहिए।

- गृ.मं. को अपने मॉनीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ बना लेना चाहिए, ताकि रा.आ.प्र.नि. के अंतर्गत राज्य नियमित रूप से उपयोग किए तथा अव्ययित शेष राशि का विवरण भेजें। यह राज्यों को समय पर रा.आ.प्र.नि. जारी करना सुनिश्चित करेगा।
- गृ.मं को राज्यों द्वारा राज्य आ.प्र.नि. के अंतर्गत अव्ययित शेष का निवेश सुनिश्चित करना चाहिए।
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग मरम्मत और बहाली की गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर शमन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आपदा शमन निधि का गठन किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया रिर्जव (रा.आ.प्र.रि.)का शीघ्रातिशीघ्र परिचालन करना चाहिए।

- अंतरिक्ष विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस (रा.आ.प्र.डे.) का परिचालन शीघ्रातिशीघ्र किया जाए।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान को शीघ्रातिशीघ्र उपग्रह आधारित (आ.प्र.स.) संचार नेटवर्क को पूर्ण रूप से परिचालित करना चाहिए तथा डॉपलर मौसम रडार का अधिष्ठापन करना चाहिए।

- रा.आ.प्र.प्रा. को राष्ट्रीय आपदा सूचना नेटवर्क तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का समापन सुनिश्चित करना चाहिए।

- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को विशेषज्ञ पदों समेत रिक्त पदों को भरने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए। म.नि., रा.आ.प्र.ब. को रा.आ.प्र.ब. कर्मियों के स्थानांतरण तथा तैनाती पर बेहतर नियंत्रण करना चाहिए।
- रा.आ.प्र. बटालियनों के लिए मानक अवसंरचना शीघ्रातिशीघ्र बनाई जानी चाहिए।
- रा.आ.प्र.ब. की तैनाती के लिए मानक संचालित प्रणाली को पुष्ट किया जाना चाहिए तथा सभी हितधारकों को बांट दिया जाना चाहिए।
- राज्यों को अपने आपदा प्रतिक्रिया बलों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केन्द्र के कार्यों की स्पष्ट नीति होनी चाहिए ताकि आपदा प्रतिक्रिया के लिए उनका उपयोग प्रभावी रूप से किया जा सके।
- गृह मंत्रालय को अग्नि तथा आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन की योजना का समापन सुनिश्चित करना चाहिए।
- दोनों केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर चिकित्सा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता तथ अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन इस आश्वासन को प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए कि घोषित उद्देश्यों तथा धन का सद्उपयोग संबंधी उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है।
- भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क के कार्यान्वयन को पुष्ट किया जाना चाहिए। संसाधनों के इंनवेन्ट्री डाटा का अद्यतन करने की आवश्यकता है।
- रा.आ.प्र.सं. में महत्वपूर्ण रिक्त पदों को भरने के लिए अतिशीघ्र कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा सके।

- भू-विज्ञान मंत्रालय को भूकंप प्रबंधन योजना का निर्माण इस विषय में जारी राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना चाहिए।
- रा.आ.प्र.प्रा. को विभिन्न प्राकृतिक खतरों के संबंध में अपनी "जोखिम मूल्यांकन तथा जोखिम विश्लेषण" की परियोजना को पूरा करना चाहिए।
- जल संसाधन मंत्रालय को राज्यों के सभी प्रमुख बाँधों को आवृत्त करते हुए आपातकालीन कार्य योजना की तैयारी को सुनिश्चित करना चाहिए।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आधुनिकीकरण के लिए भू-विज्ञान मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता है।
- कृषि एवं सहकारिता विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूखा प्रबंधन के राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में परिकल्पित गतिविधियों को शीघ्रता से पूरा किया जा सके ताकि सूखे के शमन के लिए आपदा तैयारी को प्रोत्साहन मिल सके।

- सभी हितधारकों द्वारा मासिक सूखा रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय कृषि सूखा मूल्यांकन और मॉनीटरिंग प्रणाली की परियोजना गतिविधियों की समीक्षा समय-समय पर की जा सके।
- इस दावानल मॉनीटरिंग डाटा का दावानल के लिए आकस्मिक योजना के निर्माण हेतु उपयोग किया जा सकता है।
- राज्य स्तर पर रासायनिक संकट प्रबंधन के लिए प्रभावी प्रणाली तथा दुर्घटना साइट और विशेषज्ञ समूह के बीच एक कड़ी तैयार किए जाने की आवश्यकता है।
- रा.दु.सू.रि.प्र. को रासायनिक दुर्घटनाओं की सूचना का शीघ्रता से अद्यतन करने की आवश्यकता है।
- केन्द्रीय संकट समूह को दुर्घटना पश्चात स्थिति को मॉनीटरिंग करने में तथा दावानल के निवारण एवं पुनरावृत्त के लिए उपाय सुझाने में अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है।
- ए.रो.नि.प. में सूचित कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। देश में राष्ट्रीय प्रविष्टि बिन्दुओं तथा प्रयोगशाला अवसंरचना को सुदृढ़ करने की जरूरत है।